न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/137

सुखदेव आत्मज श्री लालू आयु 76 वर्ष जाति जाट निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

बनाम

1. सुवा लाल आत्मज श्री लालू जाति जाट (नाम तर्क) ।
2. रामलाल आत्मज श्री लालू जाति जाट ।
3. कजोड आत्मज श्री लालू जाति जाट निवासीगण नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, बून्दी ।
5. तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री वहिद अहमद, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी में कोरमा– बाछौला के रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 2092 07 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2093 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 2090 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 2091 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 2094 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता श्री लाल ू द्वारा अपने जीवनकाल में लगभग 50 वर्ष पूर्व पडत से फाड कर आबाद की थी तथा पिता ने उनके जीवनकाल में ही चारों भाईयों के मध्य मौखिक पारिवारिक हिस्सा कर प्रत्येक को कब्जा संभला दिया था लेकिन पिता के देहान्त के बाद कर्ता खानदान होने के नाते श्रीलालू के बडे पुत्र अप्रार्थी कम 2 सुखलाल के उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में खाते लग गई परन्तु मौके पर उक्त आराजी पर चारो भाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सम्मिलित रूप से काश्त करते चले आ रहे

और वह अपने–अपने हिस्से 1/4 –1/4 पर बतौर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय की पारित की जावे कि अप्रार्थी कम 2 प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से से बेदखल नहीं करे, न ही उक्त आराजी को विक्रय एवं हस्तान्तरित करे, न ही प्रार्थीगण के उक्त आराजी पर चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करे । ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थी कम 2 स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.04.2013 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी कम 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला पाबन्द करने का आदेश पारित किया वह मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा अपीलान्ट सुखदेव को राज्य द्वारा सन् 1956 में आवंटित की गई थी । इस प्रकार उक्त भूमि का खातेदार अपीलान्ट सुखदेव है उक्त भूमि प्रार्थीगण कम 1 व 2 द्वारा श्री लालू द्वारा पडत से फाड कर आबाद करने एवं कर्ता खानदान होने से उक्त भूमि सुखदेव के खाते लग जाने का तथ्य गलत है । आवंटन से सम्बन्धित दस्तावेज एवं खाते की नकल पेश करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । स्वर्गीय लालू के खाते की कृषि भूमि रकबा 04 बीघा कोरमा बाछौला मार्ग पर स्थित है । जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा व अधिकार है विवादित भूमि का खातेदार अकेला सुखदेव है जिस पर प्रार्थी को एवं लालू जी के अन्य पुत्रों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है । श्री लालू जी के पॉच पुत्र सुखदेव, कजोड, किशन, सुवालाल व रामलाल हुए । जिसमें किशन नाबालिग आयु में ही फौत हो गया । लालू जी का लडका रामलाल बरधा जी के गोद चला गया । इस प्रकार विवादित भूमि में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा मानकर अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा अपने दावे एवं प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी में से 3/4 हिस्से अपने एवं अपने भाई कजोड द्वारा अपीलान्ट से क्रय करना बताया था । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थीगण एवं कजोड के पक्ष में विवादित भूमि का कोई बेचाननामा निष्पादित नहीं किया । अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी तब आवंटित हुई थी उस समय प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सुवालाल व रामलाल का जन्म भी नहीं हुआ था और कजोड मात्र पॉच छः वर्ष का था । विवादित भूमि स्यं अपीलान्ट द्वारा ही नोतोड से आबद कर काबिल काश्त बनाई थी । अपीलान्ट के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण

डेन्ट कम 1 व 2 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को रिज फरमाया जावे ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि पक्षकारान पिता ने नोतोड से फाड कर आबाद की थी जिसमें प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । यदि दौरोने वाद अपीलान्ट ने उक्त भूमि को रहन, बेचान या खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एंव पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा होना बताया है और मुख्य रूप से कथन किया है कि दौराने वाद यदि अप्रार्थी कम 2 अपीलान्ट ने दौराने वाद यदि उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल हमे इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होना है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द न हो और न ही रहन, बेचान हो इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए हम ताफैसला वाद उभय पक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 में इस प्रकार से संशोधन किया जाता है कि उभय पक्ष अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी के मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा